# छत्तीसगढ़ राज्य
# उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पंडरी, रायपुर

**संस्थित दिनांक–23.08.2024**
**अंतिम तर्क दिनांक–01.10.2025**
**आदेश दिनांक– 30 / 10 / 2025.**

**अपील क्रमांकः FA/2024/553**

वोलकेसवैगन, रायपुर, वर्धा प्रोजेक्टस (इंडिया) प्रा.
लिमिटेड रिंग रोड नंबर–1 रायपुर(छ.ग.)

(द्वारा श्री आर. के. भावनानी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी)
**...................... अपीलार्थी / विरूद्ध पक्षकार क्र.–1.**

**विरूद्ध**

1. श्रीमती दीपिका सोनी पति स्व. श्री किशोर सोनी, उम्र–39 वर्ष,
   निवासी–हासिम कासिम बाड़ा, बैजनाथपारा, तहसील व जिला रायपुर(छ.ग.)
   (द्वारा श्री दीपक वासवानी, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादिनी क्र.–1)
   **.................उत्तरवादिनी क्र.–1 / परिवादिनी.**
2. बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय शिव मोहन भवन,
   विधान सभा मार्ग, पंडरी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)
   पंजीकृत कार्यालय– जी. ई. प्लाजा एयरपोर्ट रोड, यरवदा पुणे–411006
   (द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह गुरंग, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र.–2)
   **.................उत्तरवादी क्र.–2 / विरूद्ध पक्षकार क्र.–2.**
3. एक्सिस बैंक लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक
   द्वितीय तल, चावला चेम्बर्स, जीवन बीमा मार्ग, न्यू बस स्टैंड
   के पीछे, पंडरी रायपुर(छ.ग.)
   (द्वारा श्री शोकी यादव, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र.–3)
   **.................उत्तरवादी क्र.–3 / विरूद्ध पक्षकार क्र.–3.**

**संस्थित दिनांक–05.09.2024**
**अंतिम तर्क दिनांक–01.10.2025**
**आदेश दिनांक–30 / 10 / 2025.**

**अपील क्रमांकः FA/2024/578**

बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय शिव मोहन भवन,
विधान सभा मार्ग, पंडरी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.)
(द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह गुरंग, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी)
**...................... अपीलार्थी / विरूद्ध पक्षकार क्र.–2.**

**विरूद्ध**

1. श्रीमती दीपिका सोनी पति स्व. श्री किशोर सोनी, उम्र–39 वर्ष,
   निवासी–हासिम कासिम बाड़ा, बैजनाथपारा, तहसील व जिला रायपुर(छ.ग.)
   (द्वारा श्री दीपक वासवानी, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादिनी क्र.–1)

**................उत्तरवादिनी क्र.–1 / परिवादिनी.**

2. वोलकेसवैगन, रायपुर, वर्धा प्रोजेक्टस (इंडिया) प्रा.
लिमिटेड रिंग रोड नंबर–1 रायपुर(छ.ग.)
मो. नं.–9584710000

(द्वारा श्री आर. के. भावनानी, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र.–2)

**..................... उत्तरवादी क्र.–2 / विरूद्ध पक्षकार क्र.–1.**

3. एक्सिस बैंक लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक
द्वितीय तल, चावला चेम्बर्स, जीवन बीमा मार्ग, न्यू बस स्टैंड
के पीछे, पंडरी रायपुर(छ.ग.)

(द्वारा श्री शोकी यादव, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्र.–3)

**................उत्तरवादी क्र.–3 / विरूद्ध पक्षकार क्र.–3.**

**समक्षः**

माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, अध्यक्ष.
माननीय श्री प्रमोद कुमार वर्मा, सदस्य.

**अंतिम तर्क में उपस्थित–**

परिवादी की ओर से श्री दीपक वासवानी, अधिवक्ता।
विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 की ओर से श्री आर. के. भावनानी, अधिवक्ता।
विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह गुरंग, अधिवक्ता।
विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 की ओर से श्री शोकी यादव, अधिवक्ता।

# आदेश

## ( द्वारा– प्रमोद कुमार वर्मा, सदस्य )

अपील कमांक–FA/2024/553 विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 तथा अपील कमांक–FA/2024/578 विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 की ओर से धारा–41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर (छ.ग) (जिसे आगे संक्षिप्त में ''संबंधित जिला आयोग'' संबोधित किया जाएगा) के परिवाद प्रकरण कमांक–सी.जी. / 2015 / 100 में पारित आदेश दिनांक–31.07.2024 जिसके द्वारा परिवादिनी के परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेशित किया गया है कि **''विरूद्ध पक्षकार क्र.–2, परिवादिनी को उसके पति की व्यक्तिगत दुर्घटना दावा की राशि –2,00,000 / –(दो लाख रूपये) एवं वाहन का मूल्य 5,00,000 / –(पांच लाख रूपये) परिवाद दिनांक–10.02.2015 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित अदा करेगा एवं विरूद्ध पक्षकार**

**क्र.–1 परिवादिनी को अनुचित व्यापार व्यवहार की क्षतिपूर्ति के रूप में 1,00,000/–(एक लाख रूपये) तथा वाहन पंजीयन हेतु ली गई राशि 46,574/–(छियालिस हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये) परिवाद दिनांक–10.02.2015 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित अदा करेगा व विरूद्ध पक्षकार क्र.–2, परिवादिनी को मानसिक कष्ट के लिए 50,000/–(पचास हजार रूपये) एवं अधिवक्ता शुल्क तथा वाद व्यय के रूप में 5,000/–(पांच हजार रूपये) अदा करेगा।''** से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किए हैं।

**02.** उभय अपील संबंधित जिला आयोग, रायपुर, द्वारा प्रकरण क्रमांक–सीसी/2015/100 में पारित आदेश दिनांक–31.07.2024 से उद्भूत है इसलिए दोनों अपीलों का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से पक्षकारों को उनकी मौलिक प्रास्थिति से संबोधित किया जावेगा।

**03.** संबंधित जिला आयोग के समक्ष परिवादिनी का परिवाद संक्षिप्त में इस प्रकार रहा है कि परिवादिनी के पति स्व. किशोर सोनी द्वारा एक वोल्कसवैगन कार विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 से क्रय की गई थी जिसकी कीमत 8,17,508/–(आठ लाख सत्रह हजार पांच सौ आठ रूपये) थी जिसका मॉडल नंबर– वेन्टो 1.6 ट्रेल्डलाईन, डीजल कलर केंडीवाईट, चेचिस नंबर–डब्ल्यू. वी. डब्ल्यू. जे. 10605 बी. टी. 012784, इंजिन नंबर सी. एल. एन. 150202 जिसकी पॉलिसी नंबर– ओ.जी.11. 2303–1801–00002088 दिनांक–02.11.2010 से 01.11.2011 तक बीमित था जिसमें पी. ए. कव्हर हेतु 100/–रूपये का प्रीमियम अदा किया गया था। दिनांक–14.10.2010 को डाउन पेमेंट के रूप में 75,000/–(पचहत्तर हजार रूपये) तथा दिनांक–31.10.2010 को 3,50,000/–(तीन लाख पचास हजार रूपये) विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 को भुगतान किया गया था। वाहन डिलीवरी के बाद 10–12 दिनों में ही दिनांक–18.11.2010 को पाटन से रायपुर आते समय ग्राम जामगांव मोड़ पर

मुर्गी फार्म के पास परिवादिनी के पति स्व. किशोर सोनी का गाड़ी पलट जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा उपचार उपरांत उनकी मृत्यु हो गई एवं वाहन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन का पंजीयन प्रमाण–पत्र विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा ना तो परिवादिनी के पति को उनके जीवनकाल में ही प्रदान किया गया और ना ही परिवादिनी को प्रदान किया गया। विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 से 6,00,000/–(छः लाख रूपये) में वाहन को फायनेंस किया गया था जिसके ऋण भुगतान के रूप में दिनांक–21.10.2010 को 2,83,071/–(दो लाख तिरासी हजार इकहत्तर रूपये) दिये गये थे तथा विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 द्वारा प्रीमियम के रूप में 2,825/–(दो हजार आठ सौ पच्चीस रूपये) लिया जाता रहा। वर्तमान दिनांक तक विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा न तो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के उपरांत न तो वाहन बनाकर दिया गया और न ही किसी प्रकार की अन्य जानकारी परिवादिनी को आज दिनांक तक प्रदान ही की गई है। परिवादिनी द्वारा दुर्घटना उपरांत 22 पेज मय दस्तावेज की प्रति विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया उसके बावजूद न तो बीमा राशि प्रदान की गई है ना ही पी. ए. क्लेम राशि–2,00,000/–(दो लाख रूपये) प्रदान की गई। इस प्रकार परिवादिनी ने विरूद्ध पक्षकारगण के उक्त कृत्य से व्यथित होकर परिवाद प्रस्तुत कर क्षतिपूर्ति के साथ अन्य अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है।

**04.** विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 की ओर से संबंधित जिला आयोग के समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत कर यह बचाव लिया है कि बीमा पॉलिसी जारी की गई थी तथा वाहन के रजिस्ट्रेशन की जवाबदारी स्वयं परिवादिनी के पति की थी और इस संबंध में उन्हें संपूर्ण तथ्यों की जानकारी थी। परिवादिनी के पति को दिनांक–15.11.2010 को 46,574/–(छियालिस हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये) वापस किये गये थे। वाहन की दुर्घटना के बाद परिवादिनी के द्वारा एस्टीमेट मांगा गया था जिसे विरूद्ध पक्षकार के द्वारा प्रदान किया गया था जिसे प्राप्त करने के पश्चात् न तो

परिवादिनी ने एवं न ही विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 ने वाहन को बनाने का निर्देश दिया। इस प्रकार उसने सेवा में कमी किया जाना कहते हुए परिवादिनी का परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

**05.** विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 की ओर से संबंधित जिला आयोग के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत कर यह बचाव लिया है कि विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 द्वारा परिवादिनी का दावा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर गुण–दोषों के आधार पर और बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार निराकरण किया जा चुका है। घटना के तत्काल बाद घटना की सूचना नहीं दी गई है। प्रथम बार घटना की जानकारी 7 दिनों के उपरांत दी गई जो कि बीमा पॉलिसी की शर्त क्र.–1 का उल्लंघन है। पुलिस रिपोर्ट भी घटना के तत्काल बाद न होकर 44 दिनों के उपरांत दी गई तथा वाहन का पंजीयन मोटर वाहन कानून की धारा–39 के अधीन नहीं करवाया गया है। परिवादिनी द्वारा परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा–24 के अनुसार समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाहन का बीमा, बीमा पॉलिसी की शर्तो के अधीन जारी किया गया था। वाहन की मरम्मत नहीं करवाई गई है बिना मरम्मत के इंडेमनीफाय नहीं किया जाता है। इस प्रकार विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 द्वारा कोई सेवा में कमी नहीं की गई है। अतः परिवादिनी का परिवाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

**06.** विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 संबंधित जिला आयोग के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण उनके **विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की** गई है और विरूद्ध पक्षकार क.–3 द्वारा प्रकरण में लिखित कथन या कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**07.** संबंधित जिला आयोग ने परिवादिनी द्वारा किये गये अभिवचन, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना पश्चात् परिवादिनी के परिवाद को स्वीकार करते हुए ऊपर कंडिका–1 में वर्णित अनुसार अनुतोष प्रदान किया है जिसके विरूद्ध उभय अपील है।

**08.** विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. भावनानी ने लिखित तर्क पेश कर कथन किया है कि माननीय जिला आयोग द्वारा इस तथ्य की अनदेखी की गई है कि परिवादिनी द्वारा स्वच्छ हाथों से परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है और परिवादिनी के द्वारा असत्य कथनों का आधार लेकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि परिवादिनी के द्वारा विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 के द्वारा दिनांक–12.11.2010 को पंजाब नेशनल बैंक के चेक क्रमांक–100931 के माध्यम से 46,574/–(छियालिस हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये) वापस किया गया था। माननीय जिला आयोग द्वारा इस तथ्य की भी अनदेखी की गई है कि वाहन के पंजीयन की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है और वाहन मालिक के द्वारा पंजीयन की राशि विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 से वापस प्राप्त की गई है जिसके संबंध में विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 के द्वारा अपने लिखित कथन में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है । परिवादिनी का परिवाद निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि परिवादिनी द्वारा विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 से दिनांक–31.10.2010 को कार क्रय की गई थी और परिवादिनी के पति की कार दुर्घटना में दिनांक–18.11.2010 को मृत्यु हो गई थी। माननीय जिला आयोग द्वारा अपने आदेश में विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 की ओर से दिनांक–04.12.2014 को ऋण वसूली का पत्र प्राप्त होने के आधार पर वाद कारण माना गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 वाहन का फायनेंसर बैंक है जिसके द्वारा अपने ऋण वसूली हेतु उपरोक्त पत्र लिखा गया था। माननीय जिला आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित

किया गया है। अतः विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर संबंधित माननीय जिला आयोग द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

**09.** विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह गुरंग ने लिखित तर्क पेश कर संबंधित माननीय जिला आयोग द्वारा पारित आदेश को विधिक प्रावधानो के विपरीत होने एवं प्रकरण समयावधि बाधित होने से अपील स्वीकार कर संबंधित जिला आयोग का आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

**10.** विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री शोकी यादव ने लिखित तर्क पेश कर माननीय जिला आयोग द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 एवं 2 की अपील निरस्त किये जाने एवं जिला आयोग द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

**11.** परिवादिनी की ओर से उपसंजात होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक वासवानी ने लिखित तर्क प्रस्तुत कर संबंधित जिला आयोग द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 एवं 2 की अपील निरस्त किये जाने एवं जिला आयोग द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

**12.** हमने उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए तथा संबंधित जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक–31.07.2024 जो कि प्रकरण क्रमांक–सीसी/2015/2024 में पारित किया गया है, का अवलोकन किया तथा मूल अभिलेख भी देखे।

**13.** हमने उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। हम यह पाते हैं कि परिवादिनी के पति स्व. किशोर सोनी ने दिनांक–14.10.2010 को एक वाहन विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 से वेन्टो 1.6 ट्रेल्डलाईन,

डीजल कलर केंडीवाईट, चेचिस नंबर–डब्ल्यू. वी. डब्ल्यू. जे. 10605 बी. टी. 012784, इंजिन नंबर सी. एल. एन. 150202 को 8,17,508/–(आठ लाख सत्रह हजार पांच सौ आठ रूपये) में क्रय किया था। उक्त वाहन का आर. टी. ओ. एवं पंजीयन हेतु कुल राशि–9,19,988/–(नौ लाख उन्नीस हजार नौ सौ अठ्ठासी रूपये) का भुगतान प्रदर्श सी–9 के माध्यम से किया था, जबकि परिवादिनी उक्त वाहन का विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 को वाहन की कीमत के साथ आर. टी. ओ. इंश्योरेंस च्वाईस नंबर एवं एसेसरीज तथा वाहन के संबंध में प्राप्त लोन की राशि को जोड़कर कुल भुगतान 10,07,442/–(दस लाख सात हजार चार सौ बयालीस रूपये) का भुगतान किया था जो अपील स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेज पेज़ नंबर 26 से प्रमाणित होता है एवं उक्त दस्तावेज से यह भी प्रमाणित होता है कि वाहन की वास्तविक कीमत आर. टी. ओ., इंश्योरेंश, एसेसरिज, च्वाईस नंबर एवं अन्य समस्त राशि को जोड़कर कुल कीमत 9,60,868/–(नौ लाख साठ हजार आठ सौ अड़सठ रूपये) होती है जिसे परिवादिनी द्वारा भुगतान की गई राशि 10,07,442/–(दस लाख सात हजार चार सौ बयालीस रूपये) से घटाये जाने पर 46,574/–(छियालिस हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये) अतिरिक्त भुगतान होना पाते हुए उक्त अतिरिक्त राशि को दिनांक–12.11.2012 को पंजाब नेशनल बैंक के चेक नंबर – 100931 के माध्यम से वापस किया गया जो परिवादिनी के खाते में दिनांक–15.11.2010 को जमा होना दर्शित है जो अपील स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित होता है। उक्त राशि वापस परिवादिनी के खाते में जमा होना मूल पासबुक से भी मिलान कर प्रमाणित किया गया है। अतिरक्त राशि को विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा आर. टी. ओ. में वाहन पंजीयन हेतु ली गई राशि वापस किया जाना लिखित कथन की कंडिका–4 में एवं अपील की कंडिका–4(बी) में अभिकथित किया है एवं तर्क प्रस्तुत किया है।

14. इस संबंध में अपील स्तर पर प्रस्तुत मृतक किशोर सोनी के एकाउंट स्टेटमेंट को देखने से एवं मूल अभिलेख में प्रस्तुत प्रदर्श सी–9 के दस्तावेज में

रजिस्ट्रेशन हेतु 54,050/–(चौव्वन हजार पचास रूपये) का भुगतान किया गया है एवं 2,000/–(दो हजार रूपये) च्वाईस नंबर हेतु भुगतान किया गया है, जबकि दिनांक–12.11.2010 को कथित पंजाब नेशनल बैंक का चेक नंबर–100931 में वापस की गई राशि–46,574/–(छियालिस हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये) वाहन क्रय किये जाते समय वाहन के अन्य खर्च के साथ भुगतान किये गये राशि में अतिरिक्त 46,574/–(छियालिस हजार पांच सौ चौहत्तर रूपये) राशि मृतक किशोर सोनी द्वारा भुगतान किया गया था जिसे विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 ने उक्त चेक के माध्यम से भुगतान किया है । अतः विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा जिला आयोग के समक्ष अपना लिखित कथन एवं अपील स्तर पर आयोग के समक्ष झूठा अभिकथन किया है। इस प्रकार विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा प्राप्त आर. टी. ओ. पंजीयन एवं बीमा की राशि प्राप्त करने के पश्चात् प्रश्नाधीन वाहन का सिर्फ बीमा पॉलिसी कराया था जो प्रदर्श सी–11 से प्रमाणित होता है वाहन क्रय पश्चात् दिनांक– 18. 11.2010 को मात्र 16 दिवस के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जो वाहन डिलीवरी प्रपत्र प्रदर्श सी–5 एवं दुर्घटना के संबंध में एफ. आई. आर. की कापी प्रदर्श ओ. पी. –2(1) से प्रमाणित होता है जिसमें वाहन स्वामी किशोर सोनी की दुर्घटना पश्चात् उपचार हेतु हॉस्पिटल पहुंचने पर मृत्यु होना उल्लेखित है जिसके संबंध में उक्त वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप वाहन स्वामी की मृत्यु होने पर प्रदत्त पॉलिसी के अनुसार पर्सनल एक्सीडेंट कवर होने का दावा दिनांक– 25.11.2010 को प्रस्तुत किया जो ओ. पी.–2(2) से प्रमाणित होता है एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहन के संबंध में दावा प्रपत्र ओ. पी.–2(4) प्रस्तुत किया जिसे बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील एफए/24/578 में प्रस्तुत दस्तावेज पेज नंबर–1 के माध्यम से चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने के आधार पर निराकरण नहीं किया जा सका जिसके संबंध में दिनांक–20.12.2010 के पत्र के माध्यम से परिवादिनी को सूचित किया जाना कहा है। इस संबंध में हम यह पाते हैं कि दुर्घटना की सूचना पश्चात् बीमा

कंपनी द्वारा वाहन का न तो सर्वे कराया गया और न ही रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत है और न ही वाहन स्वामी की मृत्यु पश्चात् पी. ए. कवर होने के पश्चात् भी बीमा दायित्व का निर्वहन किया जो सेवा में कमी किया जाना पाते हैं। साथ ही विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा वाहन क्रय किये जाते समय वाहन के पंजीयन एवं बीमा कराये जाने हेतु राशि प्राप्त किये जाने के पश्चात् सिर्फ वाहन का बीमा कराया गया, जबकि वाहन का पंजीयन या अस्थाई पंजीयन कराये जाने का दायित्व विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 की थी, किंतु विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया और न ही उक्त वाहन पंजीयन नहीं कराये जाने का कोई समुचित कारण अभिकथित किया है, इसके विपरीत पंजीयन की राशि वापस किये जाने का झूठा अभिवचन किया है जो परिवादिनी के विरूद्ध सेवा में कमीं किया जाना पाते हैं।

**15.** संबंधित जिला आयोग द्वारा विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा सेवा में कमी किया जाना निष्कर्षित किया है, किंतु विरूद्ध पक्षकारगण के दायित्व के निर्वहन के संबंध में त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालकर अवार्ड पारित किया है। साथ ही वाहन का कब्जा दिये जाने के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया गया है जिसे संशोधित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 द्वारा जारी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत वाहन का पंजीयन पूर्व संचालन किया जाना यद्यपि मृतक वाहन स्वामी द्वारा विधि विरूद्ध होना पाते हैं, किंतु जारी पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट हेतु प्राप्त प्रीमियम के आधार पर वाहन के साथ पी. ए. कवर फार ऑनर ड्राईवर 2,00,000/–(दो लाख रूपये) हेतु 100/–(सौ रूपये) का प्रीमियम लिया गया था। वाहन स्वामी वाहन संचालन किये जाते समय वैध एवं प्रभावशील अनुज्ञप्तिधारी था जो प्रदर्श सी–10 से प्रमाणित होता है जिसका उक्त दुर्घटना में आई चोट के कारण मृत्यु हुई जिस हेतु बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, किंतु विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 ने अपने दायित्व का उचित रूप से निर्वहन न कर सेवा में कमी किया है।

फलतः विरूद्ध पक्षकार क्र.–2 बीमा कंपनी से पी. ए. कवर हेतु जारी पॉलिसी के उक्त भुगतान हेतु दायित्वाधीन होना पाते हैं। संबंधित जिला आयोग द्वारा पारित आदेश में विरूद्ध क्र.–2 के विरूद्ध शेष अनुतोष यथावत् रहेंगे एवं विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा वाहन के पंजीयन हेतु राशि प्राप्त करने के पश्चात् भी वाहन का पंजीयन उचित समयावधि में नहीं किया एवं आज पर्यंत भी उक्त वाहन का पंजीयन किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन दुर्घटना पूर्व 16 दिवस तक पंजीयन विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप अपंजीकृत वाहन के संचालन हेतु वाहन स्वामी के साथ–साथ विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 के कृत्य भी विधि विपरीत है। फलस्वरूप वाहन क्रय दिनांक से 16 दिवस के भीतर दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन का आई. डी. व्ही. मूल्य 7,76,632/–(सात लाख छिहत्तर हजार छः सौ बत्तीस रूपये) है पर वाहन स्वामी द्वारा अपंजीकृत वाहन का संचालन कर त्रुटि की गई है। विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा विलंबित किये जाने के फलस्वरूप दुर्घटना पश्चात् वाहन का सर्वे रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है इसलिए वाहन का सुधार व्यय का आंकलन नहीं किया जा सकता, किंतु वाहन की दुर्घटना दिनांक से अब तक हुए लगभग 15 वर्ष विलंब के आधार पर वाहन को पूर्णतः नष्ट होना पाते हैं। उक्त आधार पर संपूर्ण क्षति होना पाते हैं जिसे संबंधित जिला आयोग ने 5,00,000/–(पांच लाख रूपये) क्षति का निर्धारण किया जाना समुचित होना पाते हैं, जिसे विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 द्वारा परिवादिनी को भुगतान किये जाने का दायित्व होना पाते हैं। उक्तानुसार राशि भुगतान किये जाने पर वाहन का कब्जा विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जिस हेतु वाहन की पंजीयन की कार्यवाही में परिवादिनी उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे। विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 बैंक द्वारा वाहन क्रय किये जाने हेतु ऋण प्रदान किया गया था जिसका उक्त दुर्घटना एवं दुर्घटना पश्चात् किये गये दावा के संबंध में कोई दायित्व होना प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर

होना नहीं पाते । यद्यपि विरूद्ध पक्षकार क्र.–3 जिला आयोग के समक्ष अनुपस्थित रहे हैं उनकी ओर से जिला आयोग के समक्ष कोई लिखित कथन एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अपील स्तर पर लिखित तर्क में जिला आयोग के आदेश को यथावत् रखे जाने का अथिकथन किया है और उनके विरूद्ध संबंधित जिला आयोग ने आदेश /अवार्ड पारित नहीं किया है। अतः उनके विरूद्ध कोई सेवा में कमी किया जाना नहीं पाते हैं।

16. उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप विरूद्ध पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत उभय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर संबंधित जिला आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक–सीसी/2015/100 में पारित आदेश दिनांक–31.07.2024 को निम्नांकित संशोधन के साथ आदेश पारित करते हैं।

1. विरूद्ध पक्षकार क्र.–1, परिवादिनी को वाहन के क्षति के फलस्वरूप 5,00,000/–(पांच लाख रूपये) परिवाद प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत राशि जोड़कर भुगतान करेंगे एवं वाहन का कब्जा विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 प्राप्त कर विधिवत् पंजीयन अपने पक्ष में करवा सकेगा जिस हेतु परिवादिनी उन्हें सहयोग प्रदान करेगी।

2. विरूद्ध पक्षकार क्र.–1, परिवादिनी को अनुचित व्यापार करने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादिनी को 1,00,000/–(एक लाख रूपये) परिवाद प्रस्तुति दिनांक–10.02.2015 से अदायगी दिनांक से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रदान करेगा।

3. विरूद्ध पक्षकार क्र.–2, परिवादिनी को पर्सनल एक्सीडेंट की दावा राशि 2,00,000/–(दो लाख रूपये) परिवाद प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जोड़कर भुगतान करेगा साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/–(पचास हजार रूपये) प्रदान करेगा।

4. विरूद्ध पक्षकार क्र.–1 एवं 2, परिवादिनी को वाद व्यय के रूप में पृथक–पृथक 10,000/–(दस हजार रूपये), 10,000/–(दस हजार रूपये) भुगतान करेंगे।

**(मा0 न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया)**
**सदस्य**

**( प्रमोद कुमार वर्मा )**
**सदस्य**

**Pronounced on 30th October 2025**